अनवान तहसीलदार समदडी v/s गुलाब कंवर
मुकदमा नंबर 23 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-04-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित । विप्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण निरक्षर तथा गरीब तबके के है उसे राजस्व नियमो का अभाव होने के कारण उसने अपने खातेदारी भूमि ग्राम देवलियाली के खसरा संख्या 229/62 रकबा 6.2241 हैक्टेयर मे से रकबा 0.8094 हैक्टेयर रेलवे ट्रेक में काम आने वाली मिट्टी पत्थर इत्यादि उपयोग में लिये जाने RMC प्लांट लगाने हेतु दे दिया। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विप्रार्थी उक्त प्लांट के उपयोग हेतु भूमि का नियमानुसार सम्परिवर्तन / अनापत्ति प्रमाण भी जारी नहीं करावा पा रहे है। अतः विप्रार्थीगण का निवेदन है कि अज अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश को अपास्त फरमाया जावे। हमने विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। विप्रार्थीगण गरीब व अनपढ है उन्हे राजस्व नियमो का अभाव होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को उक्त प्लांट के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रदान कर दी।विप्रार्थीगण उपयोग में ली जा रहीं भूमि का नियमानुसार सम्परिवर्तन /अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सहमत है परन्तु अज अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विप्रार्थीगण सम्परिवर्तन/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करवा पा रहे है। लिहाजा विप्रार्थीगण के बहस के आधार पर अज अदालत द्वारा दिनांक 25.02.2025 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर विप्रार्थीगण को इस निर्देश के साथ पाबन्द किया जाता है कि वे प्लांट हेतु उपयोग में ली जा रही कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन /अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाये व्यवसायिक के रूप में उपयोग में नहीं लेवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2025.05.20 20:15:14 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

नम्बर व तारीख इस हुक्म की तामील हुए